न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहनलाल खटनावलिया , आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 115/2018

वादी :-	बनाम	प्रतिवादी :-
1. बुधराज पुत्र रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी ग्राम-बस्सी तहसील जैतारण जिला पाली (राज.)		1. राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयन अधिकारी एवं तहसीलदार, जैतारण, जिला-पाली (राज.)

राजस्व वाद बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 LR Act.

तारीख रजू:. 17/05/2018

उपस्थितः- 1. श्री भाकरसिंह भाटी, अधिवक्तागण, वादी।
2. तहसीलदार जैतारण

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 27/06/2018**

वकील मय प्रार्थीया ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत 136 LR Act. के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि राजस्व मौजा- बस्सी उर्फ चैनपुरा पटवार हल्का सेवरिया तहसील जैतारण जिला पाली में निम्न विवरण की आराजी आई हुई है- खसरा नम्बर 182 रकबा 02-17 बीघा किस्म चाही चारम गै.अ., खसरा नम्बर 183 रकबा 02-10 बीघा किस्म चाही चारम गै.अ.,खसरा नम्बर 184 रकबा 07-02 बीघा किस्म चाही चारम गै.अ.,खसरा नम्बर 186 रकबा 01-12 बीघा किस्म चाही चारम गै.अ.,खसरा नम्बर 187 रकबा 02-07 बीघा किस्म चाही चारम गै.अ.,खसरा नम्बर 194 रकबा 03-01 बीघा किस्म चाही चारम गै.अ.,खसरा नम्बर 195 रकबा 02-15 बीघा किस्म चाही चारम गै.अ., तथा खसरा नम्बर 196 रकबा 03-04 बीघा किस्म चाही चारम गै.अ. कुल खसरा 8 कुल रकबा 25-08 बीघा उपरोक्त वर्णित भूमि वादी एवं प्रतिवादी की शामलाति कब्जे काश्त की खातेदारी कृषि भूमि है जिसे वाद पत्र में विवादग्रस्त आराजी से संबोधित किया गया है। जिसकी वर्तमान जमांबदी खतौनी की प्रमाणित प्रति वाद पत्र के साथ प्रस्तुत की जा रही है। वाद पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित खसरा नम्बर की भूमि वादी की संयुक्त एवं पुश्तैनी कृषि भूमि है। जो जमाबंदी संवत् 2016-2020, 2021-2024, 2024-2028, 2029-2032 से साबित है तथा वादी के पड़दादा के स्व. गंगाराम का नाम उक्त जमाबंदियों में गंगलो पुत्र बीजा के रूप में दर्ज है। जमाबंदी की प्रमाणित प्रतियां वाद के साथ पेश है। उक्त खसरा नम्बरान की भूमि के राजस्व रेकर्ड की जमाबंदी संवत् 2033 से 2036 की खतौनी के समय संबंधित हल्का पटवारी ने गलती व त्रुटिवश वादी के पड़दादा गंगाराम के नाम गंगलो पुत्र बीजा के स्थान पर मंगला पुत्र श्री बीजा दर्ज कर दिया। जो गलत है। उक्त गलत प्रविष्टि का अंकन 2033 से 2036 की जमाबंदी से दर्ज होकर लगातार चलता रहा। जिसमें वादी के पड़दादा की मृत्यु के पश्चात् वादी के पड़दादा के फौतेदगी म्यूटेशन के समय भी वादी के पड़दादा के वारिसान की वल्दीयत के रूप में भी मंगला ही दर्ज कर दिया गया। जो गलत है। उक्त गलत प्रविष्टि का अंकन 2033 से 2036 की जमाबंदी से दर्ज होकर लगातार चलता रहा। जिससे वादी के पड़दादा की मृत्यु के पश्चात वादी के पड़दादा के फौतेदगी म्यूटेशन के समय भी वादी के पड़दादा के वारिसान की वल्दीयत के रूप में भी मंगला ही दर्ज कर दिया गया। जो वर्तमान समय तक राजस्व रेकर्ड में चल रहा है। जो दुरूस्त किया जाने योग्य है। जमाबंदी की प्रमाणित प्रति वाद के साथ पेश है। वादी के दादा किशना व किशना के अन्य भाईयों के नाम से वादी के पड़दादा का फौतेगदी म्यूटेशन के तहत् राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज हो जाने और उनकी वल्दीयत गंगाराम की जगह मंगला दर्ज हो जाने की जानकारी वादी के दादा किशना व उसके अन्य भाईयों ने कभी नही की।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

क्योकि वादी का दादा व उसके अन्य भाई अशिक्षित एवं ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति थे जो कानून की जानकारी नही रखते थे। इस कारण उन्होनें अपनी वल्दीयत को राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त नही करवाया और धीरे-धीरे वादी के दादा व उसके अन्य भाई भी फौत होते चले गये तथा वादी के दादा व उसके अन्य भाई जो फौत हुए उनके फौतेदगी म्यूटेशन भी आज दिन तक इस कारण ही दर्ज नही हो सके कि वादी के दादा व उसके भाईयों की गलत वल्दीयत राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। वाद पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित खसरा नम्बरान की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड की जमाबंदी संवत् 2033-2036 से लेकर लगातार आज दिन तक वादी को पड़दादा का गलत नाम जो मंगला पुत्र बीजा दर्शाया हुआ है, को हटावाकर सही व वास्तविक नाम गंगाराम पुत्र बीजाराम दर्ज किया जाना न्यायतन आवश्यक एवं न्यायोचित है। जिसका वादी विधिक रूप से अधिकारी है। वादी के पड़दादा की मृत्यु के पश्चात् वादी के दादा किशनाराम पुत्र गंगाराम की मृत्यु दिनांक 16/08/1997 को हो चुकी है तथा वादी की दादी दाखुदेवी पत्नी किशनाराम की मृत्यु दिनांक 4/10/2011 को हो चुकी है तथा वादी के पिता रामचन्द्र पुत्र श्री किशनाराम की मृत्यु दिनांक 26/09/2017 को हो चुकी है। जिनके मृत्यु का पंजीकरण ग्राम पंचायत सेवरिया में दर्ज है और मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी हो रखे है। मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रतियां वाद के साथ पेश है। इस प्रकार वादी के पड़दादा के नाम की गलत प्रविष्टि संवत् 2033 से 2036 की जमाबंदी से लेकर आज दिन तक की जमाबंदी में गलत नाम मंगला पुत्र बीजा की प्रविष्टि दर्ज होकर चली आने के कारण वादी के दादा व वादी के पिता की मृत्यु उपरान्त भी फौतेदगी म्यूटेशन दर्ज नही हो पाये है। इसलिए वादी को अपने पड़दादा के गलत नाम मंगला पुत्र बीजा को हटवाने और उसके स्थान पर सही व वास्तविक नाम गंगाराम पुत्र श्री बीजाराम दर्ज करवाने एवं राजस्व रेकर्ड को दुरूस्त का यह वाद पत्र वादी को प्रस्तुत करना पड़ा है। वाद में प्रतिवादी राजस्थान सरकार के अधिकारी एवं कर्मचारी है जिनके विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने से पूर्व कानूनी अवधि का नोटिस दिया जाना न्यायोचित है किन्तु वाद की परिस्थितियां इस प्रकार से उत्पन्न हो चुकी है कि कानूनी अवधि तक इंतजार किया जाने से वाद का मकसद ही विफल हो जायेगा। इस हेतु अलग से 80(02) सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुमति चाही गई है। वाद कारण दिनांक 23/04/2018 को बमुकाम बस्सी उर्फ चैनपुरा पटवार कार्यालय सेवरिया में उत्पन्न हुआ जब वादी अपनी उक्त खसरा नम्बरान की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में अपने पिता का फौतेदगी म्यूटेशन दर्ज करवाने हेतु उपस्थित हुआ तब हल्का पटवारी ने वादी को बताया कि आपकी भूमि के राजस्व रेकर्ड में आपके पड़दादा का नाम मंगला पुत्र श्री बीजा दर्ज है जबकि आपने जो आपके दादा किशनाराम का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया है उसमें आपके दादा की वल्दीयत गंगाराम दर्ज है। इस कारण पहले आप अपने दादा की वल्दीयत को न्यायालय से आदेश करवाकर दुरूस्त करवाओ इसके बाद ही आपके दादा व पिता का फौतेदगी म्यूटेशन दर्ज किया जा सकेगा। इस कारण वादी ने यह वाद पत्र श्रीमान् के न्यायालय में प्रस्तुत किया है। जो श्रीमान् के क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है जो अंदर म्याद पेश है।

इस प्रकार प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पेश कर माफिक प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने तथा प्रार्थी का उक्त राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज हिस्सा को दुरूस्त दर्ज किये जाने की ईशतदुआ की हैं।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए नाटिस वास्ते जबाब प्रा. पत्र तलब किया गया। पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-सेवरियां में पेश हुई। मजमे-ए-आम में भू.अ.निरीक्षक रास एवं पटवारी हल्का से प्रकरण में वस्तुस्थिति की मौका फर्द ली गई। मौका फर्द में जाहिर किया कि मौका जांच हेतु ग्राम बस्सी उर्फ चेनपुरा पहुंचे। वादी के वाद पत्र में वर्णित दादा पड़दादा के बारे में जांच की। उपस्थित मौतबिरान ने मजमें-ए-आम हरजी, किशना,

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

भीका, अर्जुन, लादू के पिता का नाम गंगाराम होना बताया। ग्राम बस्सी उर्फ चैनपुरा की पुरानी जमाबन्दीयों की जांच की वाद पत्र में वर्णित खसरा नम्बरान में जमाबन्दी 2017–2020, संवत 2021–2024, संवत 2025–2028, संवत 2029–2032 में गंगला पुत्र बींजा दर्ज हैं। जमाबन्दी संवत 2033–2036 के लेखन के वक्त गंगला पुत्र बींजा के स्थान पर मंगला पुत्र बींजा दर्ज हो गया जो आंदिनांक चला आ रहा हैं। नाम. सं. 143 दिनांक 05.01.1983 के द्वारा मंगला के स्थान पर हरजी, किशना, भीका, अर्जुन, लादू पि0 मंगला दर्ज हो गया, जो वर्तमान जमाबन्दी संवत 2074–2077 के खाता संख्या 102 में दर्ज हैं।

पत्रावली मय दस्तावेजात एवं उक्त मौका फर्द का गहनता से अध्ययन किया गया। मजमे–ए–आम में भी उक्त से सम्बद्ध जानकारी ली गई। मौजिज एवं बुजुर्ग व्यक्तियों ने भी हरजी, किशना, भीका, अर्जुन, लादू के पिता का नाम गंगाराम होना बताया। वस्तुतः वाद पत्र में वर्णित खसरा नम्बरान में जमाबन्दी 2017–2020, संवत 2021–2024, संवत 2025–2028, संवत 2029–2032 में गंगला पुत्र बींजा दर्ज हैं। परन्तु जमाबन्दी संवत 2033–2036 के लेखन के वक्त गंगला पुत्र बींजा के स्थान पर मंगला पुत्र बींजा दर्ज हो गया जो आंदिनांक चला आ रहा हैं। जो एक रोंग एन्ट्री हैं। उसके बाद मंगला फौत होने पर उनके वारिसान हरजी, किशना, भीका, अर्जुन, लादू के नाम दर्ज भूमि में पिता का नाम मंगला ही दर्ज हुआ। जो वर्तमान तक दर्ज हैं। लिहाजा संवत 2033–2036 की जमाबन्दी लेखन के वक्त हुई रोंग एन्ट्री गंगला पुत्र बींजा के स्थान पर मंगला पुत्र बींजा दर्ज हो गया जिसे दुरूस्त कर सही नाम गंगाराम पुत्र बींजा दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं। राजस्व मौजा– बस्सी उर्फ चैनपुरा पटवार हल्का सेवरिया तहसील जैतारण जिला पाली में निम्न विवरण की आराजी आई हुई है– खसरा नम्बर 182 रकबा 02–17 बीघा किस्म चाही चारम गै. अ., खसरा नम्बर 183 रकबा 02–10 बीघा किस्म चाही चारम गै.अ.,खसरा नम्बर 184 रकबा 07–02 बीघा किस्म चाही चारम गै.अ.,खसरा नम्बर 186 रकबा 01–12 बीघा किस्म चाही चारम गै.अ.,खसरा नम्बर 187 रकबा 02–07 बीघा किस्म चाही चारम गै.अ.,खसरा नम्बर 194 रकबा 03–01 बीघा किस्म चाही चारम गै.अ.,खसरा नम्बर 195 रकबा 02–15 बीघा किस्म चाही चारम गै.अ., तथा खसरा नम्बर 196 रकबा 03–04 बीघा किस्म चाही चारम गै.अ. कुल खसरा 8 कुल रकबा 25–08 बीघा में संवत 2033–2036 की जमाबन्दी के लेखन में सहवन से गलत नाम दर्ज मंगला पुत्र बींजा के स्थान पर दुरूस्त कर सही नाम गंगाराम पुत्र बींजा दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 27/06/2018 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–सेवरिया में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)